भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3455
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कामगारों की मजदूरी

3455. श्री परिमल शुक्ला बैद्य:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में, विशेषकर असम में, प्रधानमंत्री पोषण योजना (पीएम पोषण) के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों और अन्य संबद्ध कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर रही है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन कामगारों को वेतन/मजदूरी देने की कोई व्यवस्था करने का विचार है; और
(घ) क्या अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में भी उक्त योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों और श्रमिकों को वेतन/मजदूरी देने का कोई प्रावधान है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल वाटिका (कक्षा-1 से ठीक पहले) और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक समय का गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख अधिकार-आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10.35 लाख से अधिक स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चों को शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, भारत सरकार द्वारा पीएम पोषण योजना का बजट आवंटन 12,500 करोड़ रुपये है और साझाकरण पैटर्न के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा लगभग

7,500 करोड़ रुपये है, जिसमें रसोइया-सह-सहायकों के मानदेय और पूरक पोषण मदों के लिए अतिरिक्त निधि शामिल है।

पात्र बच्चों को गर्मा-गरम पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ रसोइया-सह-सहायक (सीसीएच) की नियुक्ति सहित इस योजना के सुचारू संचालन की समग्र ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। हालाँकि, ये सीसीएच मानद कार्यकर्ता हैं जो सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु आए हैं। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, इन सीसीएच को उनकी सेवाओं के सम्मान में वर्ष में 10 माह के लिए 1000/- रुपये प्रति माह मानदेय निर्धारित किया गया है और इसे जारी रखा जा रहा है। असम राज्य सहित अनुमोदित साझाकरण पैटर्न के अनुसार केंद्र सरकार और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच मानदेय व्यय को साझा किया जाता है। केंद्र सरकार और असम राज्य सरकार के बीच साझाकरण पैटर्न 90:10 है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को अपने संसाधनों से अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराकर मानदेय बढ़ाने का प्राअधिकार है और कई राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराकर मानदेय में वृद्धि की है। असम राज्य ने बताया है कि पीएम पोषण योजना के तहत सीसीएच को मानदेय जून, 2025 तक दिया गया है। असम राज्य सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएम पोषण योजना के तहत सीसीएच को प्रदान किए गए मानदेय का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कामगारों की मजदूरी के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री परिमल शुक्ला बैद्य द्वारा दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3455 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

रसोइया सह सहायक का प्रतिमाह मानदेय

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**रसोइया सह सहायक का प्रतिमाह मानदेय (रु. में)**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रसोइया-सह-सहायकों को प्रति माह प्रदान किया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय (रु. में)**
1	आंध्र प्रदेश	3000	2000
2	अरुणाचल प्रदेश	2000	1000
3	असम	1500	500
4	बिहार	1650	650
5	छत्तीसगढ	2000	1000
6	गोवा	1000	0
7	गुजरात	3250	2250
8	हरियाणा	7000	6000
9	हिमाचल प्रदेश	4500	3500
10	झारखंड	3000	2000
11	कर्नाटक	3700	2700
12	केरल	12000	11000
13	मध्य प्रदेश	4000	3000
14	महाराष्ट्र	2500	1500
15	मणिपुर	1000	0
16	मेघालय	2000	1000
17	मिजोरम	3000	2000
18	नगालैंड	1000	0
19	ओडिशा	2000	1000
20	पंजाब	3000	2000
21	राजस्थान	2143	1143
22	सिक्किम	1000	0
23	तमिलनाडु	4100-12500	3100-11500
24	तेलंगाना	3000	2000
25	त्रिपुरा	2500	1500

26	उत्तर प्रदेश	2000	1000
27	उत्तराखंड	3000	2000
28	पश्चिम बंगाल	2000	1000
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1000	0
30	चंडीगढ़	4500	3500
31	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	6461	5461
32	दिल्ली	1000	0
33	जम्मू एवं कश्मीर	1000	0
34	लद्दाख	1000	0
35	लक्षद्वीप	18000-20200	18000-20200
36	पुडुचेरी	10000	9000

*****